उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या – /I/2016-01(3)/01/2003
दिनांक 25 जनवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विद्युत इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश 2001 की धारा 3 एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के विद्युत उपभोग पर इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी की संशोधित दरें निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। राज्यपाल निम्न संशोधित दरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस सन्दर्भ में शासन की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 6605/624/नौ–3–ऊ/इ0 ड्यूटी/03 दिनांक 31.12.2003 एवं संख्या 1933/I/2005–01(3)/1/03 दिनांक 25.04.2005 विखण्डित समझी जायेगी।

क्र0 सं	उपयोग का विवरण	अनुबन्धित मांग	इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी की दर
1	घरेलू/गैर घरेलू/अन्य	घरेलू(10 कि0वा0 अनुबन्धित मांग तक)	15 पैसे प्रति यूनिट
		गैर घरेलू/अन्य (50 कि0 वा0 अनुबन्धित मांग तक)	15 पैसे प्रति यूनिट
		घरेलू (10 कि0वा0 अनुबन्धित मांग से अधिक)	30 पैसे प्रति यूनिट
		गैर घरेलू/अन्य (50 कि0वा0 अनुबन्धित मांग से अधिक)	30 पैसे प्रति यूनिट
2	लघु व मध्यम उद्योग (विद्युत भार 100 बी0एच0पी0तक)	लघु व मध्यम उद्योग (50 कि0वा0 अनुबन्धित मांग तक)	20 पैसे प्रति यूनिट
		लघु व मध्यम उद्योग (50 कि0वा0 से 75 कि0वा0 अनुबन्धित मांग तक)	40 पैसे प्रति यूनिट
3	बडे व भारी उद्योग (विद्युत भार 100 बी0एच0पी0 से अधिक)	बडे व भारी उद्योग (75 कि0वा0 अनुबन्धित मांग से अधिक)	50 पैसे प्रति यूनिट
4	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त या राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये बेची गयी इनर्जी	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त या राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये बेची गयी इनर्जी	शून्य
5	नगर/स्थानीय निकायों/पेयजल निगम/जल संस्थान द्वारा पथ प्रकाश एवं पेयजल आपूर्ति हेतु उपभोग	नगर/स्थानीय निकायों/पेयजल निगम/जल संस्थान द्वारा पथ प्रकाश एवं पेयजल आपूर्ति हेतु उपभोग	09 पैसे प्रति यूनिट
6	नियत प्रभार (Fixed Charged) पर बिना मीटर लगे सम्भरण के लिये	नियत प्रभार (Fixed Charged) पर बिना मीटर लगे सम्भरण के लिये	प्रभारित दर (Fixed Charged) का 20 प्रतिशत
7	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिष्ठापित अपने निजी जनन श्रोत से औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये उपभुक्त इनर्जी	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिष्ठापित अपने निजी जनन श्रोत से औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये उपभुक्त इनर्जी (अक्षय ऊर्जा आधारित जनन श्रोत सहित)	02 पैसे प्रति यूनिट

......2

कर्ण-3

विद्युत निरीक्षक (उत्तरांचल शासन) 4922 09-2-16 हल्द्वानी (नैनीताल)

2— राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी विद्युत उत्पादन स्रोत के विद्युत उत्पादन की प्रकिया में उपभुक्त इनर्जी पर कुल उत्पादित यूनिट से 10 प्रतिशत तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के उद्ग्रहण से छूट मिलेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

डॉ0 उमाकान्त पंवार
प्रमुख सचिव

संख्या : 79 /I/2016-01(3)/01/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :—

1— निदेशक, राजकीय लीथो प्रैस, रूड़की को विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड (ख)(परिनियत आदेश) के अन्तर्गत सरकारी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
2— सचिव, ऊर्जा, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3— प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4— निजी सचिव, ऊर्जा मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5— निजी सचिव, मुख्यसचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6— प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8— सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
9— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर0के0पुरम, नई दिल्ली।
11—प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून।
12—प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
13—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
14—विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी।
15—समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16— प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव